न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 861/2019

प्रार्थीगण :–

1. लखदान पुत्र स्व श्री करणीदान जी उम्र 84 वर्ष
2. श्रीमति जय कंवर धर्मपत्नी श्री लखदानजी उम्र 75 वर्ष

सभी जातियान चारण निवासीयान ग्रम मथानिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण : –

1. बजरंगसिह पुत्र श्री हनवंतसिह उर्फ हनवन्तदान जाति चारण निवासी द्वितीय पोलो जैन भवन के पास पावटा जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिवरी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 112 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थीगण सख्या 01 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थीगण सख्या 02 पैरोकार सरकार उपस्थित

–::निर्णय :–

दिनॉक 15-9-2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण द्वारा विरूद्व प्रतिवादीगण के वाद बाबत घोषणा एवम बटवाडा एवम स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तात्कालिन न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय जोधपुर में राजस्व मूल वाद सख्या 11/1993 प्रस्तुत किया जो न्यायालय में विचाराधीन था। दौराने सुनवाई वाद इस वाद में पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया था एवम राजीनामे के अनुसार पक्षकारान द्वारा लिखित में राजीनामा बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने पक्षकारान के पक्ष में माफिक राजीनामा डिक्री पारित कर दी थी। जिसके अनुसार वादीगण में पक्ष में निम्न खसरान की भूमि बंट व हिस्से में आई थी। खसरा सख्या 407 की 13 बीघा 08 बिश्वा, खसरा सख्या 410 की 19 बीघा 12 बिश्वा, खसरा सख्या 414 की 13 बीघा 19 बिश्वा, इसी प्रकार से प्रतिवादी/अप्रार्थी के हिस्से में खसरा सख्या 407 की 14 बीघा 12 बिश्वा, खसरा सख्या 410 की 21 बीघा 12 बिश्वा, खसरा सख्या 414 की 10 बीघा 14 बिश्वा भूमि रखी गई पक्षकारान के बंट में उपरोक्त अनुसार राजीनामे के अनुसार भूमि आई थी इस भूमि को दर्शाते हुए एक नजरी नक्शा भी उक्त राजीनामे के साथ सलग्न किया गया था। जो नक्शा राजीनामा का भाग था उक्त राजीनामे की फोटो कोपि भी साथ में पेश की जा रही है। माफिक न्यायालय निर्णय एवम डिक्री पक्षकारान द्वारा संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय एवम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में भूमि को अमल दरामद

Scanned with CamScanner

कर लिया गया जिसकी जमाबन्दी प्रस्तुत की जा रही है। परन्तु सम्बधित तहसीलदार द्वारा इस भूमि के नक्शे को न्यायालय के निर्णय एवम डिक्री अनुसार तरमीम नही किया था जो आज दिन भी तरमीम नही है। नक्शा तरमीम नही होने की वजह से पक्षकारान के भूमि को मौके पर मिटस एण्ड बाउन्डस के अनुसार रकबा नापित नही किया गया है इस कारण से इस भूमि पर आज दिन तक पक्षकारान आपसी सहमति एवम रजामंदी से अपना हिस्सा मांगते हुए काबिज है वादीगण उपरोक्त नपाई एवम पत्थरगडडी के खर्च को वहन करने हेतु तैयार व तत्पर है। परन्तु इस भूमि की पैमाईस करके पत्थरगडडी करते हुए अलग नही की थी एवम नक्शे में भी तरमीम नही की गई है। ऐसा नही होने से पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद की आशंका बनी रहती है एवम साथ ही वादीगण का यह भी मानना है कि राजीनामे के बटवाडे में जो भूमि मिली थी उस भी का सही नाप नही होने से वादीगण को मौके पर कम भूमि प्राप्त हुई साथ नक्शा तरमीम नही होने से भूमि की ओवरलेपिग की सम्भावना बनी रहती है इन तमाम परिस्थितियो में भूमि का नाप करवाया जाना एवम पत्थरगडी करवाया जाना तथा साथ ही नक्शे पर तरमीम किया जाना कानूनी आवश्यक है जिसके लिए पक्षकारान के मध्य अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी नही हो । जिसके लिए वादीगण ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है एवम अपनी भूमि को नक्शे में तरमीम करवाकर उस भूमि की पैमाईस करवाकर उस पर पत्थरगडडी करवाना चाहते है। जिसके लिए आदेश पारित किया जाना कानून एवम न्यायसंगत होगा वादीगण ने मौके पर अनेको बार प्रतिवादीगण से ऐसा निवेदन किया है परन्तु प्रतिवादीगण सदैव यह आश्वासन देते रहे कि भूमि का सही करवाकर भूमि की पत्थरगडडी करवा देगे परन्तु प्रतिवादी के पास अपने हिस्से की भूमि से अधिक भूमि कब्जा की है इस कारण से वादीगण के निवेदन करने पर भी किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नही करते है। वादीगण ने अन्तिम बार प्रतिवादी से दिनॉक 15.10.2019 को ऐसा निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने वादीगण की बात को सुनकर अनसुनी कर दी। एव किसी भी प्रकार की कार्यवाही में रूचि नही दिखाई वादीगण द्वारा यह वाद विरूद्व प्रतिवादी के प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त में वादीगण द्वारा ईस्तदुआ चाही कि वादीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा परित निर्णय व डिक्री सख्या वाद सख्या 113/1993 लखदान बनाम बजरंगसिह में परित निर्णय दिनॉक 21.09.1994 के अनुसार दर्शाये गए नक्शे के अनुसार राजस्व अभिलेखो नक्शे में भी तरमीम की जावे एवम माफिक डिक्री एवम तरमीम वादीगण को अपने हिस्से की भूमि पर नपाई करते हुए पत्थरगडडी किए जाने का आदेश फरमाया जावे। वादीगण /प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र पेश किया ।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमे प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए डी प्रेषित किए गए जिसकी रसिदे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनॉक 17.03.2020 को पेश की तथा पत्रावली को अप्रार्थी के इन्तजार मे मुकर्र रखा गया । लेकिन बावजूद उचित समय के अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ तो दिनॉक 06.09.2020 को उक्त अप्रार्थी सख्या 01 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थीगण सख्या 02 पैराकार सरकार पर्फोमा पक्षकार बताया गया है। इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नही रखी गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी/वादीगण की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसके विभाजन व घोषणा बाबत वादपत्र पेश किया था जो न्यायालय हाजा के द्वारा स्वीकार किया गया है न्यायालय हाजा द्वारा उक्त वादपत्र को जरिये निर्णय व डिक्री दिनॉक 21.09.1994 को स्वीकार किया गया जिसकी कोई अपील किसी भी पक्षकार द्वारा उच्चतर न्यायालय के समक्ष पेश नही गई है। उक्त निर्णय व डिक्री की अनुपालना में नामान्तरकरण सख्या 1562 स्वीकार किया गया तथा उक्त भूमि की खसरान की अलग अलग दर्ज की गई उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर उक्त खसरान की भूमि की तरमीम की गई है

Scanned with CamScanner

लेकिन राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में अंकन नही किया गया है। इसलिए उक्त पुश्त पर अंकित तरमीम को राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में दर्शाकर मौके पर सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान की पत्थरगडी की जावे ताकि मौके पर पक्षकारो के मध्य सीमा को लेकर कोई विवाद नही हो। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वक्त पैमाईस थानाधिकारी पुलिस थाना मथानिया को आदेश सादिर फरमाया जावे कि समुचित पुलिस ईमदाद उपस्थित रखे ताकि मौके पर वक्त पैमाईस किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य पूर्व में इस न्यायालय में वादपत्र पेश किया गया था जो जरिये राजीनामा डिक्री किया गया । उक्त डिक्री की पालना में में नामान्तरकरण सख्या 1562 स्वीकार किया गया जिसकी पुश्त पर तरमीम अंकित है। इसलिए उक्त पुश्त पर अंकित तरमीम को राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा वक्त तरमीम मौके पर पैमाईस की जाकर मुटाम कायम कर पैमाईस की पत्थरगडडी करवाया जाना उचित है। अत प्रार्थी/वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:-आदेश :-

अत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तिवरी को आदेश दिया जाता है कि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम मथानिया के खसरा सख्या 407 410 409 408 की भूमि में निर्णय व डिक्री दिनॉक 21.09.1994 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 1562 की पुश्त पर अकित तरमीम को राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में तरमीम कर मौके पर वक्त विभाजन टीम गठित कर प्रार्थीगण की भूमि पैमाईस की जाकर पैमाईस की पत्थरगडडी की जावे तथा वक्त पैमाईस पुलिस थाना मथानिया से समुचित पुलिस ईमदाद ली जावे ताकि मौके पर वक्त पैमाईस किसी प्रकार की कोई शान्ति व्यवस्था भग नही हो। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार तिवरी को तहरीर जारी हो।

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

निर्णय आज दिनॉक 15-9-2021 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Scanned with CamScanner